

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

बनाम

श्रवण कुमार

देवीसात आदि

दावा बाबत :-

53 RTA-4

मुकदमा नम्बर :-

256/21

निर्णय दिनांक :-

16-12-24

वादी की ओर से वकील श्रवण महाराण की व प्रतिवादी सं० — की ओर से वकील सरबजीत सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख — को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

मुराबिह राजीनामा वार-वारी डीडी भिष
भासा है तथा राजीनामा व अजीरावा डी प्रमाणित प्रति
डी डीडी डी भाग पठा जावे। पत्रकारान डी रहन डी
शिफ्ट करे हुए उपरि पभावत करवे हुए राजीनामा डे
अनुसार खास व सगान असग में उपम का राजस्य
रिजो डेरुस भिष जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.12.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़